ऑन लाईन नं. GCMS 2024/122

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 37/2024

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. 1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट —(मालिक एवं विक्रेता) — वार्ड नम्बर 1, गली नम्बर 4. पीर बाबा का मन्दिर, देवनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
   मैसर्स— गोपाल दूध डेयरी, गली नम्बर 10, इन्दिरा कॉलोनी, विजय बैकरी के पास, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 02.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक— प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक—आयुक्ता / संस्था. / 2024/660 दिनांक 16—03—2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.04.2024 को समय दोपहर 12:30 बजे **मैसर्स—गोपाल दूध डेयरी, गली नम्बर 10, इन्दिरा कॉलोनी, विजय बैकरी के पास, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर विक्रेता **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट** को अपना परिचय देकर संस्थान के फ्रीज में प्लास्टिक कैन में रखे **खुले दही** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के फ्रीज में प्लास्टिक कैन में रखे **खुले दही** लगभग 22—23 किलों को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से दही नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु रखे **दही** में से 800 ग्राम दही विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा दही का नगद भुगतान 60 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया, जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशा
श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट (मालिक एवं विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट (मालिक एवं विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **दही 800 ग्राम** को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉरमेलिन की 16–16 बूँदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2256** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के 2256** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट (मालिक एवं विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./432/Act/2024/432 Dated 18-04-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2256 Substandard Food** होना पाया गया। डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वार विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया गया, जिस पर विक्रेता एवं मालिक द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट, मैसर्स–गोपाल दूध डेयरी, गली नम्बर 10, इन्दिरा कॉलोनी, विजय बैकरी के पास, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **दही** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा...
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 दस्तावेज के अभाव मे अस्वीकार है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार से दर्ज की गयी है। स्वीकार नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 4/4/2024 को प्रार्थी की डेयरी से कोई जानकारी नही चाही गयी। पार्टी द्वारा दही का बेचान किया जाता है परन्तु उसमें किसी प्रकार की मिलापट नहीं की जाती है। बल्कि प्रार्थी दूध बाहर से खरीद करता है और उसी दूध से दही बनाता है। प्रार्थी की डेयरी से जाँच वास्ते किसी प्रकार का कोई नमूना नही लिया गया है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की डेयरी से कोई दही खरीद नहीं किया गया। ना ही कृयशुदा दही का नगद भुगतान किया गया बल्कि खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा फ्री में उत्पाद दिए जाने की मांग की गयी थी प्रार्थी द्वारा इन्कार कर दिए जाने पर कहीं ओर दही लाकर प्रार्थी को उसकी डेयरी बंद करवाए जाने की धमकी देकर खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिए गए और प्रार्थी को उक्त प्रकरण में फंसा दिया गया।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थी को अधिकारी द्वारा डेयरी बन्द करवाए जाने की धमकी देकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। न ही प्रार्थी की किसी प्रकार कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाया गया। प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 5 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थी की डेयरी से दही का कोई नमूना नहीं लिया गया है। न ही कोई सील बन्द किया गया है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है। प्रार्थी के समक्ष मौके पर कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी बल्कि प्रार्थी कि डेयरी को बन्द गरवाए जाने की धमकी देकर खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। प्रार्थी को फर्द कभी भी पढकर नहीं सुनाई गयी है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 7 जानकारी व दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार है।

8. यह कि मार्थना पत्र की मद स. 8 अस्वीकार है। प्रार्थी की डेयरी से दही का कोई नमूना नहीं लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया जाता। बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी से फ्री में उत्पाद दिए जाने का कहा था जिससे इन्कार करते पर प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी कार्यवाही कर दी गयी।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 9 अस्वीकार है। प्रार्थी की डेयरी से कोई नमूना नही लिया गया तो रेफरल फूड लैब से जांच कराने का आवेदन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 10 ज्ञानाभाव से अस्वीकार है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की पद सं. 11 जानकारी अभाव में अस्वीकार है।

12. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 12 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा कभी खाद्य पदार्थ दही सब स्टैण्डर्ड फूड का विक्रय नहीं किया है।. ना ही एफएसएसए एक्ट 2006 की किसी धारा का उल्लंघन किया है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस्तगासा मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे। श्री मान जी कि अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशा...
श्रीगंगानगर (रा...

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया दही का सैम्पल K-256 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः [redacted]32/Act/2024/432 Dated 18-04-2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 दस्तावेज के अभाव मे अस्वीकार है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार से दर्ज की गयी है। स्वीकार नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 4/4/2024 को प्रार्थी की डेयरी से कोई जानकारी नही चाही गयी। पार्टी द्वारा दही का वेचान किया जाता है परन्तु उसमें किसी प्रकार की मिलापट नहीं की जाती है। बल्कि प्रार्थी दूध बाहर से खरीद करता है और उसी दूध से दही बनाता है। प्रार्थी की डेयरी से जाँच वास्ते किसी प्रकार का कोई नमूना नही लिया गया है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की डेयरी से कोई दही खरीद नहीं किया गया। ना ही कृयशुदा दही का नगद भुगतान किया गया वल्कि खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा फ्री में उत्पाद दिए जाने की मांग की गयी थी प्रार्थी द्वारा इन्कार कर दिए जाने पर कहीं ओर दही लाकर प्रार्थी को उसकी डेयरी वंद करवाए जाने की धमकी देकर खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिए गए और प्रार्थी को उक्त प्रकरण में फंसा दिया गया।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थी को अधिकारी द्वारा डेयरी वन्द करवाए जाने की धमकी देकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। न ही प्रार्थी की किसी प्रकार कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाया गया। प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 5 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थी की डेयरी से दही का कोई नमूना नहीं लिया गया है। न ही कोई सील बन्द किया गया है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है। प्रार्थी के समक्ष मौके पर कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी बल्कि प्रार्थी कि डेयरी को बन्द गरवाए जाने की धमकी देकर खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। प्रार्थी को फर्द कभी भी पढकर नहीं सुनाई गयी है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 7 जानकारी व दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार है।

8. यह कि मार्थना पत्र की मद स. 8 अस्वीकार है। प्रार्थी की डेयरी से दही का कोई नमूना नहीं लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया जाता। बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी से फ्री में उत्पाद दिए जाने का कहा था जिससे इन्कार करते पर प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी कार्यवाही कर दी गयी।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 9 अस्वीकार है। प्रार्थी की डेयरी से कोई नमूना नही लिया गया तो रेफरल फूड लैब से जांच कराने का आवेदन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 10 ज्ञानाभाव से अस्वीकार है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की पद सं. 11 जानकारी अभाव में अस्वीकार है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशा...
श्रीगंगानगर (राज.)

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 12 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा कभी खाद्य पदार्थ दही सब स्टैण्डर्ड फूड का विक्रय नहीं किया है।. ना ही एफएसएसए एक्ट 2006 की किसी धारा का उल्लंघन किया है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस्तगासा मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे। श्री मान जी कि अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Dahi"** bearing Code No and Sr. No. **K-2256** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed Standards of Food Safety and Standard [Food Product Standards and Food Aditives] Regulation 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल भाट, मैसर्स–गोपाल दूध डेयरी, गली नम्बर 10, इन्दिरा कॉलोनी, विजय बैकरी के पास, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।